E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(1): 12-16
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 19-11-2023
Accepted: 26-12-2023

पूजा सैनी
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,
रोहतक, हरियाणा, भारत

Corresponding Author:
पूजा सैनी
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,
रोहतक, हरियाणा, भारत

अध्यक्षीय बनाम संसदीय लोकतंत्र : एक तुलनात्मक विश्लेषण

पूजा सैनी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i1a.295

सारांश

आज लोकतांत्रिक सरकारें जो चुनावों के माध्यम से नागरिक जुड़ाव को सक्षम बनाती है, दुनिया के 50% से भी अधिक हिस्से में मौजूद है। दुनिया भर में दो प्रकार के लोकतंत्र प्रचलन में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र । प्रतिनिधि लोकतंत्र को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अध्यक्षीय और संसदीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कार्यकारी और विधायी शाखाएँ कैसे परस्पर क्रिया करती है। अध्यक्षीय प्रणाली की संसदीय प्रणाली से तुलना करने पर, अध्यक्षीय प्रणाली काफी स्थिर प्रतीत होती है। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक, वैद्यता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती इसमें राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती हैं और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रभारी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली प्रतिनिधि सरकार प्रदान करती है, जो श्रेष्ठ है।

कूटशब्द: लोकतंत्र, विकास, संसद, संसदीय बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र, अर्ध संसदीय सरकार

प्रस्तावना

दुनिया के आधे से अधिक देश लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा संचालित है जो मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार देते हैं। लोकतंत्र शब्द बोलने में छोटा परंतु इसका अर्थ उतना ही बड़ा और जटिल निकलता है। डेमोक्रेटिक शब्द यूनानी भाषा के डेमोस (Demos) और कृतियां (Cratia) इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता हैं- लोग और शासन। शाब्दिक अर्थ में जनता का शासन।

लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है।" अर्थात् लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती हैं और उनकी सरकार बना सकती है। ऐसी लोकतांत्रिक सरकारे या तो प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि हो सकती है। आज प्रतिनिधि लोकतंत्रो को दो श्रेणियों अध्यक्षीय और संसदीय में बांटा जा सकता है। अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली के अलावा एक मिश्रित प्रणाली भी होती है जिसमें दोनों के तत्वों को शामिल किया जाता है।

अध्यक्षीय प्रणाली में मुख्य कार्यकारी जिसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता हैं, देश के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और विधायिका के आधीन नहीं होता है। इसके विपरित सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग-अलग होते हैं। इसमें सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका विभागों की स्वतंत्रता संवैधानिक रूप संरक्षित होती है। संसदीय प्रणाली का निर्माण इंग्लैंड में हुआ। भारत ने ब्रिटेन से कुछ संशोधनों के साथ संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक उपयोगी और कारगार थी।

संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जबावदेह होती है और उस विश्वास को हासिल करने की क्षमता से उसे अपनी राजनैतिक वैधता प्राप्त होती है। संसदीय सरकारों में मंत्री अध्यक्षीय सरकारों में सचिवों से बहुत अलग स्थिति रखते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) तथा सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) अलग-अलग व्यक्ति होते है। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते है अर्थात राज्य का प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है।

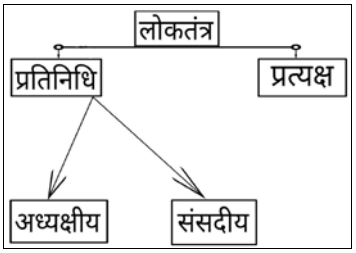

चित्र 1: अध्यक्षीय एवं संसदीय सरकार की मूल संरचना

साहित्य समीक्षा

लुईस टिलिन एट अल (2017) के द्वारा समझाया गया है कि अधिक विकेन्द्रीकृत संसदीय संघीय प्रणालियों के तहत भारत और कनाडा जैसे देशों में नागरिक अपनी क्षेत्रीय या उपराष्ट्रीय सरकार को नीतिगत जिम्मेदारी सौंपने की अधिक संभावना रखते हैं, जहाँ मजबूत क्षेत्रीय और जातीय पहचान है। भारत का संघीय ढांचा कई महत्वपूर्ण मामलों में, संवैधानिक रूप से तुलनात्मक रूप से केन्द्रीकृत है। दलो की विशाल संख्या को देखते हुए संघीय स्तर पर गठबंधन राष्ट्रपतिवाद संसद के सुंदर सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी राज्य स्तरी मुद्दे बातचीत पर हावी रहते हैं। शायद उन चुनावों को छोड़कर जिनमें नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने सत्ता संभाली, वह राष्ट्रपति चुनाव की तरह अधिक महसूस हुआ।

गैंग होफ एट अल के द्वारा 2018 में कहा गया है कि अर्ध संसदीय सरकार एक अद्वितीय कार्यकारी-विधायी संरचना है। पारंपरिक संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों की तुलना में इसके बहुत सारे लाभ है क्योंकि यह शाखाओं के बीच प्राधिकरण को विभाजित करता है और एक व्यक्ति में प्रशासनिक अधिकार को केन्द्रित किए बिना लोकतंत्र के बहुसंख्यक और आनुपातिक विचारों के बीच संतुलन बना सकता है। शुद्ध अध्यक्षीय और संसंदीप दोनो साकारों के कई मूलभूत तत्वों को बनाए रखने के बावजूद, अर्थसंसदीय सरकार महत्वपूर्ण दोषों को कम कर सकती है, इसलिए संविधानवादियों और लोकतांत्रिक सिद्धांतकारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ऐलेना ग्रिग्लियों एट अल (2020) के द्वारा समझाया गया है कि कोविड- 19 स्थिति के कारण, सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच संचार में काफी बाधा आई है, जबकि अधिकारियों ने कानून बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। संसदे उत्तरोतर हाशिए पर होती जा रही है। स्थिति को देखते हुए, कई तत्व कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को नीति निर्माण की लोकतांत्रिक वैधता के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका बनाते हैं जब वैधानिक और उप- विधायी उपकरणों की बात आती है तो संसदों को यह निगरानी और जाँच करने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम कर रही है।

यान पी केरेवेल, सर्जियो ए बार्सेना जुआरेज (2022) के द्वारा बताया गया है कि विपक्ष के नेतृत्व वाली विधायिकाओं में राष्ट्रपति किस हद तक प्रवेश शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? मैक्सिकन चेंबर ऑफ डेप्युटीज में रोल दरो के अध्ययन पर आधारित, जहाँ राष्ट्रपतियों के पास विधायी बहुमत की कमी होती हैं और अक्सर विपक्ष द्वारा नियंत्रित विधायिका का सामना करना पड़ता है, इसमें पाया गया है कि राष्ट्रपति एजेंडे पर कमजोर द्वारपाल शक्ति का प्रयोग करते है जबकि राष्ट्रपति और उनकी पार्टियाँ राष्ट्रपति की पहल से संबंधित वोटो मे शायद ही कभी हारती है, वे आमतौर पर अपने बिलो को पारित करने के लिए विपक्षी दलों के साथ स्थिर और अनौपचारिक गठबंधन बनाते है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पार्टी की एजेंडा सेटिंग शक्ति विधायी शाखा में उत्पन्न होने वाले बिलो के साथ कमजोर होती हैं, जहाँ पार्टी को कभी - कभी विधायी पहल पर और संशोधन-चरण के दौरान भी शामिल किया जाता है।

एड्रियान अल्बाला एट अल (2023) के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के तहत मंत्रिमंडलो की संरचना ने हाल के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान में साहित्य के शीर्ष विषयों में से एक का गठन किया है। हालांकि उन कैबिनेट के उचित आकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है अर्थात कुछ मंत्रिमंडलो में 37 मंत्री क्यों होते हैं जबकि अन्य में केवल 13 सदस्य होते हैं। उन्होंने संसदीय और अध्यक्षीय साहित्य दोनों की अंतदृष्टि का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि निर्दलीय और टेक्नोक्रेट को शामिल करने से कैबिनेट के आकार को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है।

कार्यप्रणाली

भारत में संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। संसदीय प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, हालांकि, यह कभी- भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बन सका और कई मामलों में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है-

• ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जबकि 'भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और, लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, व्यापिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का प्रयोग करती है।

• भारत में ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था है दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) चुना जाता है जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख (राजा या रानी) को वंशानुगत पद प्राप्त होता है।

• ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) 'का सदस्य होना चाहिए लेकिन भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।

अध्यक्षीय तथा संसदीय प्रणाली में तुलना

आधार	सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप	सरकार का संसदीय स्वरूप
कार्यपालिका	दोहरी	एकल
जवाबदेही	कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह	कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं
कार्यकाल	अनिश्चित	निश्चित
दलीय अनुशासन	कठोर दलीय अनुशासन	आंशिक दलीय अनुशासन
निरंकुशता	कम निरंकुशता	अधिक निरंकुशता
मंत्री	केवल सांसदो में से	विधायिका के बाहर के लोगो को नियुक्त किया जा सकता है
निचले सदन का विघटन	प्रधानमंत्री द्वारा निचले सदन को भंग किया जा सकता है	राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता

अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली एक दूसरे से भिन्न होती है

अध्यक्षीय शासन प्रणाली

जिस शासन प्रणाली में, कार्यपालिका प्रधान विधायिका से बिल्कुल अलग होता है और जहाँ राज्य का मुखिया, अक्सर सरकार का मुखिया भी होता है और वह विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएँ

1. शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का वर्चस्व होता है।
2. राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों या निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है।
3. मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं।
4. राष्ट्रपति के पास अपराधियों की सजा कम करने या समाप्त करने का अधिकार होता है।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण

अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कुछ गुण निम्नलिखित हैं-

• **स्थायित्व:** अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, परिणामस्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है।

• **शक्तियों का स्पष्ट विभाजन:** अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसके परिणामस्वरूप ये तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते ।

• **विशेषज्ञों द्वारा शासन:** अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अधिक महत्त्व देता है।

• **नीतियों में निरंतरता:** अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अवगुण

अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अवगुण निम्नलिखित हैं-

• **उत्तरदायित्व का अभाव:** अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान में न रखकर व्यावसायिक हितो को महत्व देती हैं।

• **निरकुंशता की संभावना:** अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका

किसी भी प्रकार से विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना रहती है।

• **विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव:** चूंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तम्भो में टकराव की संभावना बनी रहती है।

संसदीय शासन प्रणाली

संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं- नाममात्र कार्यपालिका (राष्ट्रपति) और वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल)

संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएँ

1. संसदीय स्वरूप के तहत राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग-अलग होते हैं।
2. इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
3. शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है।
4. इस प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है।
5. इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को एकीकृत किया गया है।

संसदीय शासन प्रणाली के गुण

संसदीय शासन प्रणाली के कुछ गुण निम्नलिखित है-

• **नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका:** संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है।

• **उत्तरदायी सरकार:** संसदीय व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होती है। जिसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है।

• **कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग:** संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच पूर्ण सहयोग बना रहता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य होते हैं। उसके वाद-विवाद में भाग लेते है और बिल प्रस्तुत करते हैं। दोनों के बीच सहयोग के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है और शासन में दक्षता आती है।

• **परिवर्तनशील सरकार:** इसमें सरकार आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है।

संसदीय शासन प्रणाली के दोष

संसदीय शासन प्रणाली के दोष निम्नलिखित है-

• **अस्थिर सरकार:** इसमें कार्यपालिका की अवधि अनिश्चित होने के कारण मत्रियो को सुदैव इस बात की चिंता बनी रहती है कि विधायिका उनसे नाराज होकर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित न कर दे। इसलिए सरकार स्थिर नीतियों और दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण नहीं कर सकती।

• **संसद की दुर्बल स्थिति:** इसमें संसद बहुत कमजोर हो जाती है। संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण होने की बात तो दूर की है, वास्तव में मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण होता है।

• **शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध:** इसमें शक्तियों के एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों में केन्द्रित होने के कारण नागरिको की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होने का डर रहता है।

• **मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय:** संसदीय शासन प्रजाती में जहाँ दो से अधिक दल होते हैं, वहाँ शासन अस्थायी होता है। परंतु जहाँ केवल दो दल होते है वहाँ मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो जाती है।

अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में समानताएँ

अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में समानताएं निम्नलिखित हैं-

1. अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र के बीच प्रमुख समानता यह है कि यह दोनो प्रकार की सरकारें लोकतांत्रिक है लोकतंत्र के ये दोनों रूप लोगो को अपने नेताओं को वोट देने की अनुमति देते है। यह उन्हें सरकार के अन्य रूपों से श्रेष्ठ बनाता है जिनमे लोगो को लोकप्रिय संप्रभुता का आनंद लेने की अनुमति होती है।
2. नेता सेना का प्रमुख होता है और सरकार चलाता है।
3. नागरिको के द्वारा कानून निर्माताओं का चयन किया जाता है।

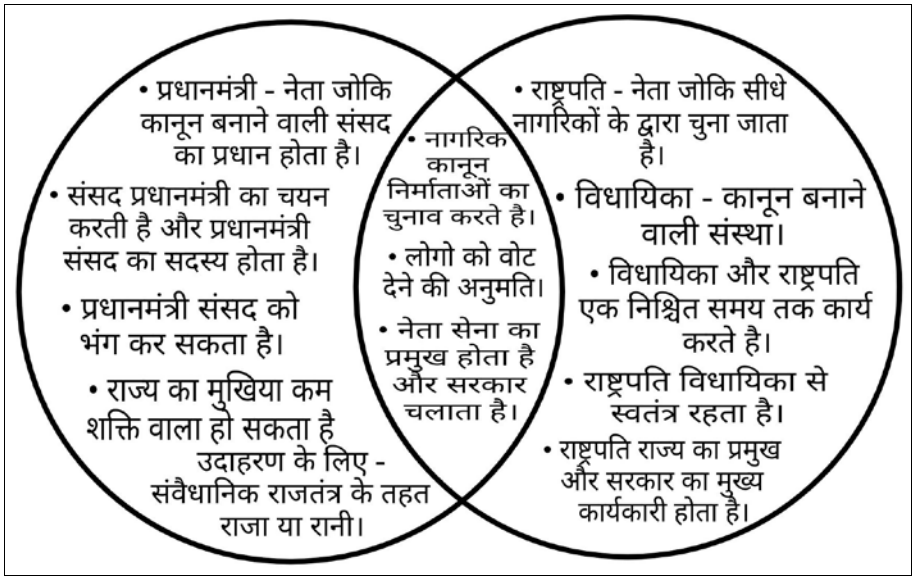

चित्र 2: अध्यक्षीय एवं संसदीय सरकार के बीच समानताएँ तथा असमानताएँ

निष्कर्ष

सरकार के संसदीप और अध्यक्षीय स्वरूप सत्ता के वितरण जवाबदेही तंत्र, निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यपालिका व विधायिका की भूमिका के मामले में काफी भिन्न होते हैं। हालांकि इन दोनों रूपों में कुछ समानताएँ भी पाई जाती है लेकिन दोनो शासन प्रणालियो में भिन्नताएँ अधिक है, जिससे ये दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे के विपरित प्रतीत होती है। संसदीय प्रणाली समूहिक निर्णय लेने और विधायिका के प्रति जवाबदेही पर जोर देती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली मजबूत कार्यकारी नेतृत्व और शक्तियों के प्रथक्करण पर जोर देती है। प्रत्येक प्रणाली चाहे वह अध्यक्षीय प्रणाली हो या संसदीय प्रणाली प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होते है। यह किसी देश की सरकार पर निर्भर करता है कि वह उस प्रणाली का चयन करे जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो क्योकि हर देश अपनी संरचना और संस्कृति में भिन्न होता है इसलिए देश की आवश्यकताओं को पहचानना जरूरी है। यदि हम बड़े पैमाने पर देखे तो मुख्य रूप से यही दो रूप है। कोई भी देश अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ मे इनमे से एक रूप का चयन करता है। सरकार के विभिन्न स्वरूपों की कार्यप्रणाली और निहितार्थो के मूल्यांकन के लिए इन अंतरो को समझना महत्वपूर्ण है। यदि हम नए रुझान देखे तो कई देशों ने अपनी राजनैतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक से राजतंत्र में बदल दिया लेकिन उल्लेखनीय है कि भारत आजादी के 76 साल बाद भी एक गणतंत्र प्रधान और मजबूत संविधान वाला लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रो मे से एक माना जाता है।

संदर्भ

1. Laxmikant M. Indian Polity; c2020.
2. Verma GL. Parliamentary Versus Presidental System of Government; c2010.
3. Tillian L, Pereire AW. Federalism, Multi level elections and social policy in Brazil and India; c2017.
4. Ganghof S. A New Political System Model: Semi Parliamentary Government; c2018.
5. James TS, Ali Hodzic S. When is it democratic to postpone and election? Elections during Naturel disaster, Covit 19 and emergency situations; c2020.
6. Griglio E. Parliamentary-oversight under the Covid-19 emergency: Striving against. executive dominance; c2020.
7. Yam P Kerevel, Sergio ABJ. Informal Coalitions and Legislative Agenda Setting in Mexico's Multiparty Presidential System; c2022.
8. Albale A, clerici P, Olivares A. Determinates of the Cabinet Size in Presidential system; c2013.
9. www.wikipedia.org